

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी-डॉ०सूरज सिंह नेगी

अपील संख्या 240/2020

तारीख रजू 04.12.2020

गोपाल पुत्र प्रहलाद जाति जाट निवासी कारौली ताराचंद तह०खण्डार। --- अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये नायब बहराण्डा कलॉ।

--- रेस्प०

निर्णय

दिनांक 25.08.2021

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार, बहराण्डा कलॉ द्वारा मिसल संख्या 136/2020 में पारित आदेश दिनांक 19.10.2020 के विरुद्ध प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम कारौली ताराचंद के आराजी खसरा नम्बर 7/1 रकबा 1.10 बीघा किस्म गैर मुमकिन चरागाह भूमि पर संवत् 2077 में अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर जोत लगाने का कर्ता मानकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने के साथ साथ पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए 90 दिवस सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्प० की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्प० की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विरुद्ध तथा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। यह भी तर्क दिया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपना आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्त को विधिवत नोटिस नहीं दिया ना ही अपीलान्त को पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया बल्कि अपीलान्त की अनुपस्थिति में एक पक्षीय आदेश विधि के प्रावधानों के विपरीत पारित किया है जो निरस्त योग्य है। यह है कि अपीलान्त का खसरा नम्बर 7/1 रकबा 1.10 बीघा के किस विशिष्ट भू-भाग पर कितना कब्जा है तथा संवत् 2077 में कौनसी फसल काशत कर अतिक्रमण किया है पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अतिचार के सम्बन्ध में कोई मौका निरीक्षण नहीं किया मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट को आधार बनाकर अपना आदेश स्वेच्छाचारी ढंग से अपने न्यायिक विवके का उपयोग किये बिना ही पारित किया गया है

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर




जो कि निरस्तनीय है। यह भी तर्क दिया है कि अपीलान्त के पश्चातवर्ती अतिचारी के सम्बन्ध में पत्रावली पर कोई प्रलेखीय साक्ष्य नहीं होतु हुए भी पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए अपना आदेश विधि के प्रावधानों के विपरित पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है। अन्त में वकील अपीलान्त द्वारा अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.10.2020 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए परोकार सरकार ने बहस में कथन किया कि अपीलार्थी को विधिवत नोटिस जारी करने के पश्चात ही अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर दिये जाने व पश्चातवर्ती अतिक्रमी साबित हो जाने के पश्चात ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है। विद्वान परोकार ने बहस में यह भी तर्क दिया है कि विवादित भूमि गैर मुमकिन चरागाह है जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है तथा अपीलान्त द्वारा बड़े रकबे पर अतिक्रमण कर रखा है यदि अपीलार्थी को सार्वजनिक उपयोग की भूमि से बेदखल नहीं किया गया तो अन्य व्यक्तियों को भी अतिक्रमण करने हेतु बढ़ावा मिलेगा एवं पशुधन सम्पदा को क्षति पहुँचने की पूर्ण संभावना है। अतः अपील अपीलान्त खारिज की जाकर अदालत मातहत का निर्णय यथावत रखा जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय की पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अपीलार्थी को धारा 91 का नोटिस जारी किया गया है जिसपर अपीलान्त के स्वयं के घर पर नहीं मिलने की स्थिति में तामील कुन्निदा द्वारा एक प्रति नोटिस की खुले मकान पर चस्पा कर नोटिस तामील करवाया गया। अतः वकील अपीलार्थी का यह कथन कि अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर नहीं दिया गया है मान्य नहीं है। जहाँ तक अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचारी होने का प्रश्न है तो पटवारी हल्का की पश्चाती अतिक्रमण की रिपोर्ट पर पटवारी हल्का के बयान लिये गये हैं जिसमें पटवारी हल्का ने बताया है कि अपीलार्थी ने पुनः अतिक्रमित आराजी पर अतिक्रमण कर लिया है व अपीलार्थी अतिक्रमण करने का आदी है इसलिये अपीलार्थी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जावे। उक्त कथन से अपीलार्थी पश्चातवर्ती अतिचारी साबित होता है तथा अदालत मातहत द्वारा पारित किये गये निर्णय में किसी प्रकार की अनियमितता नजर नहीं आती है तथा अतिक्रमित आराजी की किस्म भी गैर मुमकिन चरागाह है जो मूक पशुओं की चराई में काम आती है व सार्वजनिक उपयोग की भूमि है पर अपीलान्त द्वारा पशुधन सम्पदा को क्षति पहुँचने की पूर्ण संभावना है तथा भूमि पर बढ़ते अतिचार को रोकना अत्यन्त आवश्यक है। अतः मेरी राय में अपील अपीलान्त अस्वीकार योग्य पाई जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 19.10.2020 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25.08.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(डॉ०सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर